HRA AN UNIVERSALE OF Andia

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2013/फाल्गुन 2, 1934

No. 105]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013/PHALGUNA 2, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 116(अ).— पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमित से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2013 है ।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण विनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 10 में "रजिस्ट्रीकरण के लिए" शब्दों के पश्चात् "कृषक, किरम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से भिन्न" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
 - 3. मूल विनियमों के प्ररूप 1 और प्ररूप 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप 1

(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन नई किस्म और विद्यमान किस्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[धारा 18 देखिए, अनिवार्यतः व्युत्पन्न किरम से मिन्न]

(आवेदक के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहां कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएं तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें ।)

- 1. आवेदकों का पहचान :
 - व्यष्टिक प्रजनक
 - प्रजनक का उत्तराधिकारी

- ० संस्थागत आवेदक
- उपरोक्त में से किसी का समनुदेशिती
- अभिसमय देश
- कोई अन्य
- 1.समनुदेशिती या आवेदक का विधिक प्रतिनिधि, नियम 27 के अनुसार आवेदन करने के अधिकार का अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करेगा ।
- 2. भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में आवेदक का देश भी आना चाहिए और भारत को ऐसे पारस्परिक विशेषाधिकार प्राप्त है । (अधिनियम की धारा 31 देखिए)
- 3. सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए ऐसे दस्तावेज संलग्न कीजिए जो कृषक और पौधा प्रजनक के बीच किए गए व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शाएं ।
- 2. आवेदक (आवेदकों) का/के नाम और राष्ट्रीयता
- (क) (प्राकृतिक व्यक्ति की दशा में) : यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियां डालें,
- क्रम संख्या
 नाम
 पूरा पता
 राष्ट्रीयता
 (ख) (विधिक व्यक्ति की दशा में : उदाहरण के लिए फर्म या कंपनी या संस्था)
 नाम :
 उसके मुख्यालय या स्थापन का पता :

3
(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) :
निगमन वर्ष :
लिखिए क्या विधिक व्यक्ति आवेदक के पास पूंजी या प्रबंध में अभारतीय मागीदारी है :
हां 📋 नहीं 🖸
यदि हां. तो राष्ट्रीयता बताएं
(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो (उदाहरण के लिए किसी कंपनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए -

नाम :	
पदनाम	
पता :	
दूरभाष	
फैक्स	:
ई-मेल	:

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप तफ- 1 में प्राधिकार संलग्न करें)

				,	
नाम	:	 	 	 	
पता	:	 	 	 	
पिन	: .	 	 	 	

फैक्स :
ई-मेल :
4. अभ्यर्थी किस्म की साधारण जानकारी :
फसल का सामान्य नाम :
वानस्पतीय नाम :
कुल :
अभिधान (बड़े अक्षरों में)' :
4 वानस्पतीय नाम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है ।
5. किस्म का प्रकार (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का अध्याय 3 देखिए)
० नई किस्म
विद्यमान किस्म
6.(क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :
ं प्रारूपिक किस्म
० संकर किस्म
ट्रांसजेनिक
अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)
5 प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों में यावृत प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है । (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरा, समिश्रित किस्में या वानस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी हैं)
* संकर न कि ट्रांसजेनिक संकर की दशा में, खेती और बीज उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कीजिए ।
(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है । समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) तकनीकी प्रश्नावली पूरे विवरण सहित संलग्न कीजिए जो मुहर सहित सम्यकतः हस्ताक्षरित हो ।
(ग) यदि नई किस्म ट्रांसजेनिक है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का जैव सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए ।
7. प्रजनक/प्रजनकों के नाम और पते जिसमें/जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म को प्रजनित किया है
नाम :
पता :
दूरभाष :
फैक्स :
ई-मेल :
राष्ट्रीयता :
*एक से अधिक प्रजनकों की दशा में जपरोक्त प्रपन्न में सभी नामों का (ii) (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख

कीजिए । यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं ।

8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी किरम के बारे में किए गए अन्य पूर्वत्तर आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो) :

किस्म अभिधान :
आवेदित अधिकार की प्रकृति 📑 पौधा प्रजनक के 📑 पेटेन्ट अधिकार
फाइल करने की तारीख
(साक्ष्य संलग्न करें)
देश का नाम
प्राधिकरण का नाम
आवेदन संख्या
आवेदन की स्थिति :
🚅 विचाराधीन 💢 अनुमोदित 💢 नामंजूर
(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएं और अतिरिक्त पन्ना लगाएं)
(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)
किस देश में
किस तारीख को
(आवेदन की तारीख)
9. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है 🗀 हां 🛴 नहीं
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित बताएं :
किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख :
वह देश जहां संरक्षण किया गया है:
प्रयुक्त अभिधान :
प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो :
प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता : (अलग से पन्ना लगाएं)
10.(क) यदि अभ्यर्थी किस्म संकर है तो बताएं कि क्या संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए आवश्यक पैतृक परंपरा आवेदक द्वारा अनन्यतः प्रजनित हैं :
🛘 हां 🗀 नहीं
⁶ यदि नहीं तो उल्लेख करें कौन सी पैतृक परंपरा बाह्यसाधित है, क्या पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, की धारा 30 की अनुपालन में प्रत्येक बाह्य साधित संरक्षित पैतृक परंपरा के लिए करारपत्र अभिप्राप्त किया गया है तथा प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी दें :-
पैतृक परंपरा :
अभिधान ⁸
स्रोत :
प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त 📋 संलग्न 亡 संलग्न नहीं
⁷ स्रोत पर प्रयक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए । स्रोत संबंधी सचना में प्रजनक का नाम या संस्था या

⁷स्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए । स्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या संस्था या कृषक या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया । अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी को दोहराएं ।

(ख) बता	एं संकर के	बार-बार प्रवर्धन	के लिए	र पैतृक	परंपरा	के	रूप	में यदि	किसी	कृषक	किरम	का	या	सामान्य	ज्ञान	की
किस्म या	लोक क्षेत्र	की किस्म का उ	त्रयोग वि	त्या जा	ता है	:										

हां

नहीं

यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें :

अभिधान :

भौगोलिक स्रोत:

सहज गुणों के ब्योरे (उदभव)

स्वामी कृषक/ग्राम समुदाय/संस्थां/संगठन का ब्यौरा :

- (ग) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 उन कृषकों को फायदों का हिस्सा पाने को सुगम बनाता है जिन्होंने आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित किया है जिससे किस्म के विकास में योगदान मिला है । इस विशिष्ट मामले में आवेदक ने किस प्रकार की कृषक/समुदाय मान्यता की योजना बनाई है ?
- 11. किस्म या संकर की व्युत्पत्ति में यदि, विदेशज जनन द्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :

12.	आवेदन	फीस	और	सुभिन्नता,	एकरूपता	स्थिरता	परीक्षण	फीस	के	संदाय	का	विवरण
-----	-------	-----	----	------------	---------	---------	---------	-----	----	-------	----	-------

कास सारा १	
(केवल रुपए)	
मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख :	
बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय डाफ्ट आहरण किया गया है	

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी किस्म के रिजस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं और मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हं/हैं।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन, या खोज या विकास में शामिल नहीं रहा है ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि अभ्यर्थी किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करता है/करती है ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने इस किस्म के उक्त अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है ।

मैं/हम पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथपत्र संलग्न करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी हैं, मेरे/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है ।

708 GI/13-2

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए आनुवंशिक सामग्री या मूल सामग्री विधिपूर्वक अर्जित की गई है।

में/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे ।

स्थान		
तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर

⁸जहां_कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे । प्राधिकृत आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशा में इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा / करेंगे ।

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर सहित) प्रस्तुत हैं :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे) :-

- (क) पूरा आवेदन :
- (ख) प्ररूप तफ 1 में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (ग) प्ररूप तफ 2 में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (घ) ऊपर दिए गए (ख) और (ग) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (ङ) यह शपथपत्र कि टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक प्रयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी अंतर्वलित नहीं है :
- (च) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8क के अनुसार) :
- (छ) करार पत्र की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो 10क के अनुसार) :
- (ज) अभ्यर्थी किस्म की तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न)
- (झ) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक है तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संख्क्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें।
- (ञ) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, संलग्नक के रूप में पहली बार फाइल करने के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवर्तन संबंधी पूरा विवरण संलग्न करें :
- (ट)अभिसमय देश आवेदक की दशा में, यह व्यापक जानकारी दें कि क्या वह किस्म अभिसमय देश के भीतर या बाहर बेची जा चुकी है अथवा उसका अन्यथा व्ययन किया जा चुका है ;
 - (ठ) ट्रांसजेनिक की दशा में, सुसंगत जननिक इंजीनियरी अनुमोदन सिमति का अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमोदन ; और
 - (ड) फीस, जो लागू है

यदि आवश्यक समझें तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें । कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बांये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

दूरभाष :.... फैक्स :....

प्ररूप 2

(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म (ई.डी.वी.) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[अधिनियम की धारा 28 देखिए]

(आवेदक के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहां कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न तथा अन्य प्रश्नों पर स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें ।)
1. आवेदक (आवेदकों) की पहचान :
 व्यष्टिक प्रजनक
प्रजनक का उत्तराधिकारी
० संस्थागत आवेदक
० अन्य
 सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए ऐसे दस्तावेज संलग्न कीजिए जो कृषक और पौधा प्रजनक के बीच किए गए व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शाएं ।
2. आवेदक (आवेदकों) का/के नाम और राष्ट्रीयता
(क) (प्राकृतिक व्यक्ति की दशा में) : यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियों में लिखें,
1. क्रम संख्या
2. नाम
3. पूरा पता
4. राष्ट्रीयता
(ख) (विधिक व्यक्ति की दशा में : उदाहरणार्थ फर्म या कंपनी या संस्था)
नाम :
उसके मुख्यालय या स्थापन का पता :
(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) :
निगमन वर्ष :
लिखिए क्या विधिक व्यक्ति आवेदक के पास पूंजी या प्रबंध में अभारतीय भागीदारी है :
हां 🖸 नहीं 🖸
यदि हां. तो राष्ट्रीयता बताएं
(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो (उदाहरण के लिए किसी कंपनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए -
नाम :
पदनाम :
पता :

		and the second s	***
ई-मेल :	ett var en		pho
3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने में प्राधिकार संलग्न करें)	हैं (यदि आवश्यक हो	, तो प्ररूप तफ-	1
नाम :	-		
पता :			
दूरभाष :		*/	
पिन :			
फैक्स :			
ई-मेल :			
4. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म की साधारण जानकारी :			
फसल का सामान्य नाम :			
वानस्पतिक नाम ² :	T		
कुल :			
अभिधान (बड़े अक्षरों में) :			
² वानस्पतीय नाम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 द्वारा	अनुमोदित वैज्ञानिक न	गम अभिप्रेत है ।	
5. (क) अनिवार्यतः किस्म का प्रकार			
o ट्रांसजेनिक			

- ० उत्परिवर्ती
- उत्तक संवर्धन व्युत्पन्न
- बैक क्रांस व्युत्पन्न
- कोई अन्य (गुणिता परिवर्तन आदि)
- (ख) यदि ट्रांसजेनिक है तो जननिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति का अनापित प्रमाणपत्र संलग्न करें और यदि अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म एक ट्रांसजेनिक है तो जैव सुरक्षाएंगल और पर्यावरण विभाग (जीईएसी) का अनापित प्रमाणपत्र तथा संबद्ध बीज उत्पादन अनुज्ञा संलग्न करें (विवरण दें)।
- 6.(क) अभ्यर्थी किरम का वर्गीकरण:
 - ० प्रारूपिक किस्म
 - ० संकर किस्म
 - अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

³प्रारूपित किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों में यावृत प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है । (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरा, संश्लेषित/समिश्रित किस्में या वानस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी हैं ।)

- (ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है । समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) तकनीकी प्रश्नावली पूरे विवरण सहित संलग्न कीजिए जो मुहर सहित सम्यकतः हस्ताक्षरित हो ।
- (ग) क्या प्रारंभिक किस्म के प्रजनक को अधिकार में लिया गया है

हां. 📁 नहीं 🗀
(घ) यदि हां तो प्राधिकार की एक प्रतिलिपि संलग्न करें
7 , प्रजनक/प्रजनकों के नाम और पते जिसमें/जिन्होंने अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म को प्रजनित किया है 4
नाम :
पता :
दूरभाष :
फैक्स :
ई-मेल :
राष्ट्रीयता :
^⁴ एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए । यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं ।
8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के बारे में किए गए अन्य पूर्वत्तर आवेदनों का विवरण (यदि लागू हों) :
अनिवार्यतः व्युत्पन्न किरम अभिधान :
आवेदित अधिकार की प्रकृति पौधा प्रजनक के 🖂 पेटेन्ट अधिकार 🖸
फाइल करने की तारीख
(साक्ष्य संलग्न करें)
देश का नाम
प्राधिकरण का नाम
आवेदन संख्या
आवेदन की स्थिति :
विचाराधीन 💓 अनुमोदित 😂 नामंजूर 🚍
(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएं और अतिरिक्त पन्ना लगाएं)
(ज) परि जन्म अभिष्यत की अभागी किया के मनमें एकी आवेटन के मंदंध में अब परिक्रम मंगी जाती है (पटि साम
(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)
हो)
हो) किस देश में
हो) किस देश में किस तारीख को
हों) किस देश में किस तारीख को
हों) किस देश में किस तारीख को
हों) किस देश में किस तारीख को
हो) किस देश में

प्रयुक्त व्यापार चिह्न, याद काइ हा :
10.(क) यदि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म संकर है तो बताएं कि क्या संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए आवश्यक पैतृक वंशक्रम परंपरा आवेदक द्वारा प्रजनित हैं :
हां 🖸 नहीं 🖸
⁵ यदि नहीं तो उल्लेख करें कौन सी पैतृक परंपरा बाह्यसाधित है, क्या पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, की धारा 30 की अनुपालन में प्रत्येक बाह्य साधित संरक्षित पैतृक परंपरा के लिए करारपत्र अभिप्राप्त किया गया है तथा प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी दें :-
पैतृक परंपरा :
अभिधान ⁶
स्रोत :
प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त संलग्न 📋 संलग्न नहीं 🔼
⁶ स्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए । स्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या संस्था या कृषक या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया । अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी को दोहराएं ।
(ख) यदि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म संकर है तो बताएं संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए पैतृक वंशक्रम एरंपरा के रूप में यदि सामान्य ज्ञान की कृषक किस्म या लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है :
हां 📜 नहीं 📜
यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें :
अभिधान :
भौगोलिक स्रोत :
सहज गुणों के ब्यौरे (उदमव) :
स्वामी कृषक/ग्राम समुदाय/संस्था/संगठन का ब्यौरा :
(ग) यदि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म है तो क्या यह किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और भारत के पौधा किस्म जर्नल में अधिसूचित है, आरंभिक किस्म के रूप में उपयोग किया गया है
हां 🗸 नहीं 📮
यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें :
अभिधान :
भौगोलिक स्रोत :
स्वामी कृषक/ग्राम समुदाय/संस्था/संगठन का ब्यौरा :
11. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म या संकर की में यदि, विदेशज जनन द्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :
12. आवेदन फीस और सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण फीस के संदाय का विवरण
फीस राशि रु
(केवल रुपए)
मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख :

बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट आहरण किया गया है :

7 अनिवार्यतः व्युत्पन्न किरम के लिए सुभिन्नता एकरूपता स्थिरता परीक्षण फीस, किए जाने वाले परीक्षणों के लिए आधार पर निर्धारित होगी किन्तु उससे कम नहीं होगी जो आवेदन के अधीन किरमों के लिए निर्धारित किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किरम के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं और मैं/हम पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूं/हैं ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन, या खोज या विकास में शामिल नहीं रहा है ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की घारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करता है/करती है ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने इस अनिवार्यतः व्युत्पन्न किरम के उक्त अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है ।

में/हम पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथपत्र संलग्न करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी अनिवार्यता व्युत्पन्न किस्म के रिजस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी हैं, मेरे हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि दीप्त सीमांत प्रौद्योगिकी (टीटी) या आनुवंशिक उपयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी (जीयूआरटीएस) या ऐसी अन्य रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत सामग्री में नहीं है।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए आनुवंशिक सामग्री मूल सामग्री विधिपूर्वक अर्जित की गई है ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे ।

स्थान		
तारीख	,	आवेदक के हस्ताक्षर ⁸

⁸जहां कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को **हर्र**ताक्षर करने होंगे । प्राधिकृत आवे<mark>दक या समनुदेशितियों</mark> के द्वारा आवेदन की दशा में इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा / करेंगे ।

आवेदन की तीन प्रतियों में से प्रत्येक प्रति के साथ निम्नलिखित संलग्नक प्रस्तुत हैं :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे) :-

- (क) पूरा आवेदन :
- (ख) प्ररूप तफ 1 में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (ग) प्ररूप तफ 2 में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (घ) ऊपर दिए गए (ख) और (ग) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (ङ) यह शपथपत्र कि टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक उपयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी अंतर्वलित नहीं है :
- (च) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8क के अनुसार) :
- (छ) करार पत्र की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो 10क के अनुसार) :

- (झ) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक है तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें।
 - (ञ) फीस, जो लागू है

यदि आवश्यक समझें तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें । कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बांये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

तकनीकी प्रश्नावली 1. आवेदन/प्रजनक/कंपनी का नाम :- स्थापना वर्ष :- 3. क्या वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रिजस्ट्रीकृत कंपनी है (विवरण दीजिए) :- 4. निगमित कार्यालय का स्थान और पता :-5. फोन/फैक्स/ई-मेल :- अभ्यर्थी किरम का नाम :- (क) क्या इसे किसी कन्वेंशन देश में इससे पूर्व लोकार्पित किया जा चुका है नहीं 🚺 यदि हां तो स्तंभ सं. 13 में पूरा ब्यौरा दीजिए ।

(ख) वंशावली / वंशक्रम :	
	•
(अभ्यर्थी किरम के प्रजनन में प्रयुक्त किरमों, परंपराओं या क्लोनों का ब्यौरा देते हुए आरेखीय रेखाचित्र सहित)	
(ग) अभ्यर्थी किस्म का प्रजनन	
(i) उत्पत्ति (सही पर चिह्न लगाएं)	
नियंत्रित परागण/खुला परागण/ अभिप्रेरित उत्परिवर्तन/स्वतःप्रसूत उत्परिवर्तन/आमुख/चयन/पौध चयन/कोई अन् (विनिर्दिष्ट कीजिए)	य
(ii) पैतृक सामग्री (पैतृक सामग्री का नाम, पैतृक सामग्री के लक्षण, जो अभ्यर्थी किस्म से प्रभेद्य हो) यदि किस् किस्म का विकास चयन द्वारा किया गया था तो उसे नियत करने से पूर्व पूरे किए गए चयन चक्रों की संख्या	ो
(iii) प्रयुक्त की गई प्रजनन तकनीक/प्रक्रिया	
<u> </u>	
(iv) प्रयुक्त किया गया चयन मानदंड	
(v) चयन और गुणज का प्रक्रम	
(vi) वह स्थान जहां प्रजनन किया गया	

7. आवेदक द्वारा किए गए तुलनात्मक परीक्षण का विवरण, यदि कोई हो ।

ऐसे तुलनात्मक परीक्षण के अवस्थान, स्थान, अवधि और वर्ष/मास, खेती की पद्धति जैसे खुला खेत, सुविधाएं, पौधरोपण, अंकुरण आदि, खेतीबारी का पैमाना, प्रयुक्त की गई निर्देश किस्में, निर्देश किस्मों के चुनाव की मानदंड प्रयोग का डिजाइन, भिन्नता के विश्लेषण की पद्धति प्रयोगात्मक त्रुटि, जहां लागू हो, विषयक जानकारी तथा अन्य विवरण ।

तुलनात	मक आं	कड़ों व	ने विव	वरण से	संबंधि	त प्रव	काशनों	के व	भांकड़े, स	ो सारणी के अतिरिक्त प्रज ारणियां, प्रतियां भेज सकते किरम की परीक्षा को सुकर	हैं। इस मद	के अंतर्गत यह
	जाएगा		क्षारा .	ячлікі	d del	971	OII Ç III	iaig	जन्यवा	वर्रस यम यसवा यम सुवर	वनान के लि	, 2(147) X414
												į.
	8. अभ्य										•	
और फ ऊंचाई,	न के १	भाग, बी चौड़ाई	जि अ , आ	गदि । उ कार, अ	प्ताधारण गकृति,	तया रंग (उपशीर्ष (संस्कर	कों व ण के	के अंतर्गत साथ आ	îोधा, तना, पत्ती, पुष्प समूह, लक्षणों का वर्णन निम्नलिरि र.एच.एस. रंग चार्ट निर्देश)	वत क्रम में की	जिए : प्रकृति,
	(ক) (i) समूह	लक्ष	णों का	उल्लेख	कीर्वि	जेए -					
											,	
	(ii) v	पुभिन्न	लक्षण	(वर्णन	ात्मक र	या स	विस्तार)	-			İ	
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
			••••						• • •			
					~ ~							
	` '								भ्रणों की र			0 4
									साथ-साथ	। महत्वपूर्ण लक्षणों के लिए	उसके सब सु	भिन्न आर अन्य
	वर्णन के लिए प्रतिवलित मूल्यों का उल्लेख कीजिए । टिप्पण : लक्षण सारणी में दो या अधिक निर्देश किरमों की तुलना अभ्यर्थी किरम से की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत											
एक ऐ	सी कि	स्म है र	जो स	बसे अ	धिक र	गरूप	किरम	सम	झी जाती	है तथा अन्य जो यथासंभव	। प्रत्यक्ष/समरू	प/यदि आप यह
जानक जाएगा		तो इर	ससे !	प्राधिकर	ण के	लिए	अभ्यथ	िक	रम की प	रीक्षा में और आगे डी.यू.ए	स. परीक्षण क	रना आसान हो
,												
लक्षण	अभ्य	ार्थी कि	रम क	ज लक्षप	गात्मक	मूल्य			\$	मापे गए मूल्य पर टिप्पणि आदि	निर्देश लाक्षणिक मृ	किस्म का (ल्य
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		()	()
										/		
			100			+						

Γ			I	1	T	I	T	T	T	
	-									
				,						

9. निर्देश किरमों के लक्षण
(क) अत्यधिक समरूप किस्म
(i) अभिधान
(ii) तुलना के लिए इस किस्म के विकल्प का आधार
(iii) सुभिन्न लक्षण
(ख) अन्य निर्देश किस्म
(i) अभिधान
//h \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(ii) तुलना के लिए इस किस्म के विकल्प का आधार
(iii) सुभिन्न लक्षण

10	अभ्यर्थी	किरम	की	सभिन्नता	का	विवरण

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

कृपया उन लक्षणों का संक्षिप्त सारांश देते हुए जो अभ्यर्थी किस्म को सामान्य जानकारी की सभी किस्मों से सुभिन्न करते हों, सुभिन्नता विवरण दीजिए । सुभिन्नता विवरण के अंतर्गत निम्नलिखित होना चाहिए, (i) निर्देश किस्म (किस्मों) के नाम जो अभ्यर्थी किस्म के सर्वाधिक समरूप देखी गई है, और (ii) अभ्यर्थी किस्म और समरूप/निर्देश किस्म के बीच प्रमुख प्रभेदक लक्षणों की तुलना
······································
11. अभ्यर्थी किरम की सुभिन्नता, एकरूपता और स्थिरता संबंधी विवरण
कृपयो किस्म में किसी भिन्नता का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त विवरण दीजिए जिसे उसके सामान्य एकरूपता या स्थिर अभिव्यक्ति का अंग माना जा सके । जो संभाव्य हो, सुस्पष्ट शर्तों में तथा वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य हो । इसके अंतर्गत भिन्न प्रकारों, रूपांतरों या उत्परिवर्तनों का वर्णन और बारंबारता शामिल हैं । आपकी राय में, भिन्न प्रकारों या किसी अन्य वर्णनीय रूपांतर की बारंबारता क्या होनी चाहिए जिसके बाहर अभ्यर्थी किस्म एकरूप नहीं समझी जाएगी । कृपया यह उल्लेख कीजिए कि वे कौन सी विशेषताएं हैं जो अभ्यर्थी किस्म के फेनोटाइप का अस्थिर प्रकटन तय करने के सूचक के रूप में विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट की जा सकें ।
12. अभ्यर्थी किरम को अनुरक्षित करने की पद्धतियां
कृपया संक्षिप्त विवरण में बताएं कि प्रचार सामग्री पौधा प्रजनक के अधिकार की अवधि में किस प्रकार अनुरक्षित की जाएगी और पूरा पता लिखें वहां वह किस्म अनुरक्षित होगी । इसके अंतर्गत किस्मों की स्थिति में शामिल है जो बीजों द्वारा प्रवर्धित नहीं की जाती है । इसके अंतर्गत उनकी वानस्पतिक सामग्री के अनुरक्षण और भंडारण का स्थान और पद्धित भी शामिल है ।
टिप्पण - किसी पौधा प्रजनक अधिकार का धारक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अधिकार के दौरान अनुरक्षण में किस्मों के प्रवर्धन सामग्री प्रतिनिधि का अनुरक्षण करे ।
13. अभिसमय देशों में रजिस्ट्रीकृत किरम से संबंधित जानकारी
क. इस अभ्यर्थी किस्म के लिए आवेदन में समूहकरण लक्षण क्या थे ?
(i)
(ii)

(vii)
(viii)
(ix)
ख. सुभिन्नता एकरूपता और स्थिरता पैरामीटर क्या थे जिस पर इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था ?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
ग. पहली फाइलिंग और वर्तमान फाइलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षणों में क्या भिन्नता है (फोटोचित्र लगाए) ?
घ. क्या उस किस्म को प्रथम फाइल किए गए देश में खेती से हटा लिया गया है अथवा किसी भी पश्चातवर्ती लोकार्पण देश से निषिद्ध कर दिया गया है ?
ङ. यदि हां तो कारण बताइए (जानकारी के साथ)
मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन अभिधान में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस के प्रजनन खोज या विकास में सम्मिलित नहीं है ।
तारीख
हस्ताक्षर
साक्षी के हस्ताक्षर और पता
प्रजनक/कंपनी का पदनाम और उसकी मुहर
प्रजनक/कंपनी को तकनीकी प्रश्नावली के हर पृष्ठ पर तारीख सहित हस्ताक्षर करने चाहिए ।
[फा. सं. 1-15/2012-एस.डीV]
डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव
टिप्पण :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 (i) तारीख 7 दिसंबर, 2006 में सा.का.भी. 🚧 🕅 तारीख 7 दिसंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

708 GI/13-5

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2013

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by section 95 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001(53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority with the pervious approval of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Regulations, 2006.

- Short title and Commencement (1) These Regulations may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Regulations, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 2. In regulation 10 of the Protection of the Plant Varieties and Farmers' Rights Regulations, 2006 (hereinafter referred to as the principal regulations), after the words "for registration" the words" other than application for the registration of farmers, variety" shall be inserted.
- 3. For Form I and Form II of the principal regulations, the following Forms shall be substituted, namely:-

"FORM 1

[See regulation 10]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW VARIETY AND EXTANT VARIETY UNDER PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS'

RIGHTS ACT, 2001. [See section 18, other than essentially derived variety.] (Instruction to applicant: Wherever a box item appears against queries, please tick the relevant box and provide legibly written/typed response in other queries.) 1. Identity of the Applicant(s): JINDIVIDUAL BREEDER SUCCESSOR OF BREEDER INSTITUTIONAL APPLICANT ASSIGNEE OF ANY OF ABOVE CONVENTION COUNTRY² ANY OTHER³ 1. An assignee or legal representative applicant shall submit required proof of the right of making the application in accordance with rule 27. The Gazette Notification of Government of India should cover the country of the applicant and that India enjoys such mutual privileges (see section 31 of the Act) For material developed by participatory plant breeding, attach documents to explicitly show the deal struck between the farmer and the plant breeder. 2. Name(s) and Nationality of Applicant(s) (a.) (If natural person): [Insert additional rows, if required] 1. Serial Number. 2. Name 3. Complete Address 4. Nationality (b.) (If a legal person; for example a firm or company or institution) Name: Address of its seat or establishment: (Registered office): Year of Incorporation: State whether the applicant legal person has non-Indian participation in capital or management: Yes If yes, identify the nationality

(c.) Indicate the name and address of the natural person, being an employee of the legal person, who is duly authorized to represent the legal person (example a director of a company or a partner of a firm):

Name.

^{5.} Typical variety means a variety, which is not a hybrid or an essentially derived variety and normally propagated by using propagules saved from previous crop production cycles (Example: pure lines including parental lines/composite varieties or vegetative propagated varieties).

^{*}The hybrid and not a transgenic hybrid. In case of transgenic attach copy of the Genetic Engineering Approval Committee clearances for cultivation and seed productions

What is (are) the Distinctness Uniformity Stability feature on the basis of which registration is sought. Explain in detail the group characters (see specific guidelines for details). Attach 'Technical Questionnaire' sheet with all needed details duly signed with seal.

If new variety is a transgenic attach clearance on Bio-safety from (c.) Ministry of Environment and Forests. 7. Names and Addresses of Breeder(s) who has/have bred the Candidate Variety*: Name: Address: Telephone: Fax: E-mail: Nationality: *In case of more than one breeder, mention all names as (ii), (iii) and so on in the above format. If required insert extra page. 8.(a.) Details of all other earlier applications made on the candidate variety in convention countries or other countries (if applicable): Variety denomination: Nature of right applied for: Plant Breeder's Rights Patent Filing Date (Attach evidence): Name of Country: Name of Authority: **Application Number:** Under process Approved Rejected Status of Application: (If required, repeat the above for each applicable country and attach separate sheet) Priority is now claimed in respect of the earliest application for a candidate variety of said denomination (if applicable): In (country): On (date of application): 9. Has the candidate variety been commercialised or otherwise exploited? Yes No If yes, please indicate the following: Date of the first sale of the variety: Country (ies) where Protection is made: Denomination used: Trademark used, if any: Variation in important trait with Respect to first filing: (attach sheet)

10.(a.) If the candidate variety is a hybrid, state whether all the parental lines required for the repeated propagation of the hybrid are bred exclusively by the applicant(s):

	☐Yes ☐ No ⁶	
	If no, mention which of the parental line is outsourced, whether letter of agreement is obtained for each of the parental lines in compliance with Section 30 of the Protection of the Plant Varieties and Farmers' Rights Act and information on each of them: Parental line (S):	e outsourced protected also provide following
	Denominations ⁷ :	/
	Source: Authorisation letter obtained: Attached Not attached	
	Authorisation letter obtained:AttachedNot attached Denomination should not be altered from what was used at the source. Information on source may include name of breede or farming community who had bred and maintained the parental line. Repeat above information for additional applic	or institution or farmer able parental line.
(b.)	b.) State if any Farmers' Variety or Variety of Common Kno	wledge or
()	variety in public domain is used as parental line for the	
	propagation of the hybrid:	
	Yes No	
If yes,	f yes, give following details:	
	Denomination:	
	Geographical Source:	
	Details of Attribution (origin):	
	Details of owner farmer /village community/ Institution/ Organisation:	4.0
	Details of eviler farmer / mage community/ montations organisation	
(c.)	access to benefit sharing to farmers who have conserved to resource that has contributed towards variety development particular case what sort of farmer/community recognition the has planned?	nt. In this
11.	1. In case exotic germplasm was used in the derivation of the hybrid, give details:	variety or
12.	2. Details on the payment of application fee and Distinctness I Stability testing fee:	J niformity
	Amount of fee: Rupees (Rupees	only)
Name	Jame of Bank and branch in which the Demand Draft is drawn:	
	(Signature of the	Applicant)

DECLARATIONS

I/We hereby apply for the grant of registration of the candidate variety with the above said denomination and I/we am/are conversant with the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and Rules thereof related to this application.

I/We hereby declare that no person other than the person or persons mentioned in this application has been involved in the breeding, or discovery or development of the candidate variety.

I/We hereby declare that the candidate variety complies with the sub- section (3) of section 29 of Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that I/we have not applied for or received a trademark for the said denomination of the variety.

I/We hereby attach an affidavit in compliance with clause (C) of sub-section (1) of section 18 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that the information given in this application for the registration of the above said candidate variety, including annexure and all supporting documents are complete, true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and no information has been wilfully concealed.

I/We hereby declare that genetic material or parental material acquired for breeding, evolving or developing the variety has been lawfully acquired.

I/We hereby declare that I/We shall abide by all the provisions and guidelines of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

Place:	
Date:	Signature of Applicants

⁸Wherever the applicants are more than one person each applicant has to sign. In the case of authorised application or application by assignees, such person(s) authorised or assigned shall sign

Following are the attachments (duly signed/seal) submitted along with of the application (note that wherever signature is affixed in the application or attachments, all such signatures shall be in the original):

- (a) complete application;
- (b) document of authorisation in Form PV-1 (if applicable);
- (c) document of assignment in Form PV-2 (if applicable);
- (d) documents in support of (b) and (c) as given above. (If applicable);
- (e) affidavit that the Terminator Technology and the Genetic Use Restriction Technology is not involved;
- (f) copy of document on filing date (vide column 8A, if applicable);
- (g) copy of letter of agreement (vide column 10A, if applicable);
- (h) technical Questionnaire for the Candidate variety (attached);
- (i) if the applicants by virtue of succession or an assignment of the right to apply for registration attach a proof to show the right to application as stipulated in sub-section (3) of section 18 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001;
- (j) in case of Convention Country applicant attach complete details on the variation in the important trait with respect to first filing as enclosure;
- (k) in case of Convention Country applicant provide information whether the variety has been sold or otherwise disposed of within or outside the convention Country with details thereof;
- (1) in case of transgenic relevant Genetic Engineering Approval Committee clearances and approvals; and
- (m) Fees as applicable;

If felt necessary attach colour pictures of specific characteristics used for establishing distinctness. Please sign each page of the application and other document on the left margin.

FORM II

[See regulation 10]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ESSENTIALLY DERIVED VARIETY (EDV) UNDER PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001.

[See section 28 of the Act.]

(Instruction to applicant: Wherever a box item appears against queries, please tick the relevant box and provide legibly written/typed response in other queries.)

1. Identity of the Applicant(s):	☐INDIVIDUAL BREEDER
¹ For material developed by participatory plant breeding, attach of	SUCCESSOR OF BREEDER INSTITUTIONAL APPLICANT OTHERS¹ locuments to explicitly show the deal struck between farmer and plant breeder
2. Name(s) and Nationality of Ap	plicant(s)
(a.) If natural person: [Inse	ert additional rows, if required]
1. Serial Number.	
2. Name 3. Complete Address	
4. Nationality	
(b.) (if a legal person; for example	e a firm or company or institution)
Name:	
Address of its seat or establishment: (Registered Office)	
Year of Incorporation:	
capital or management:	al person has Non-Indian participation i
If yes, identify the nationality (ies):	

		(
Name Design	enation:	
Addre	direct contributions.	
	иреспаний	
Telep	hone:	
Fax:		
E-mai	il:	
3.		of the Person to whom Correspondence related to be sent (Attach authorisation in Form-PV-1, if required)
Name	:	The second of th
Addre	ess:	
Telep	hone:	
Pin:	Management and	
Fax:		
E-mai	11:	
4.	General Information	of the Essentially Derived Variety:
Comn	non name of the Crop:	
Botan	ical name ² :	
Famil	y:	
Deno	mination (in block letters):	
		oved by the International Code for nomenclature of cultivated plants, 2004.
5.(a.	Type of Essentially D	erived Variety
		☐ TRANSGENIC
		MUTANT

BACK CROSS DERIVATIVE
ANY OTHER (Ploidy Change etc)

(b.). If transgenic, attach copy of Genetic Engineering Appraisal Committee

0.()	
	Classification of the Candidate Variety: TYPICAL VARIETY
	HYBRID VARIETY OTHERS (SPECIFY)
	pical variety means a variety, which is not a hybrid or an essentially derived variety and normally propagated by using propagates saved from ious crop production cycles (Example: pure lines including parental lines, synthetic/composite varieties or vegetative propagated varieties).
(b.)	What is (are) the Distinctness, Uniformity, and Stability feature on the
	basis of which registration is sought. Explain in detail the group
	characters (see specific guidelines for details). Attach 'Technical Questionnaire' sheet with all needed details duly signed with seal.
(c.)	Whether the authorisation of the breeder of initial variety has been
	taken
	☐ Yes ☐ No
(d.)	If yes please attach the copy of Authorisation:
	Names and Addresses of Breeder(s) who has/have bred the candidate Essentially Derived Variety ⁴ :
».	
Name:	
Name: Addres	s:
	s:
Addres	
Addres	one:
Address Telepho	one:
Addres Telepho Fax: E-mail:	one:

28	THE GAZETTE OF INDIA	: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i
Nature of right applie Filing Date (Attach ev		's Rights P	atent
Name of Country:			
Name of Authority:	-		
Application Number:			
Status of Application.	Under process	S Approved	Rejected
(If required, repeat the	above for each applicable coun	itry and attach separa	te sheet)
Essentially In (country):	now claimed in respect Derived Variety of said d		
On (date of application	i):		
	entially Derived Variety	oeen commerciali	ised or otherwise
exploited?	Yes	□No	
If yes, please indicate	the following:		1
• •	f the Essentially Derived Variety:		i
Country of first sale of	f the Essentially Derived Variety:		
Denomination used:			-
Trademark used, if an			
the parental	date Essentially Derived lines required for the repeated by the applicant(s):		

⁵If no, mention which of the parental lines are outsourced, whether letter of agreement is obtained for each of the outsourced protected parental lines in compliance with Section 30 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act and also provide following information on each of them:

Parental line (S):

Denomination6:

Source:

Authorisation letter obtained:

Attached

Not attached

⁶Denomination should not be altered from what was used at the source. Information on source may include name of breeder or institution or farmer or farming community who had bred and maintained the parental line. Repeat above information for additional applicable parental line.

(b.)	If the candidate Essentially Derived Variety is a hybrid, state any Farmers' variety of common knowledge or in public domain is used as parental line for the repeated propagation of the hybrid:
	Yes No
	If yes, give following details: Denomination:
	Geographical Source:
	Details of Attribution (Origin):
	Details of owner farmer/village community/Institution/Organisation:
(c.)	If the candidate is an Essentially Derived Variety, state whether a variety registered under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights, Act 2001 and notified in the Plant Variety of Journal of India has been used as the initial variety:
	Yes No If yes provide
	Denomination:
	Geographical Source:
`	Details of owner farmer/village community/Institution/Organisation:
11.	In case exotic germplasm was used in the derivation of the Essentially Derived Variety or hybrid give details:
12.	Details on the payment of application fee and Distinctness Uniformity Stability testing fees ⁷ :
Amou	ant of fee: Rupees (Rupeesonly)
Dema	nd Draft Number and date:
Name	of Bank and branch in which the Demand Draft is drawn:
⁷ The Di not be le	stinctness Uniformity Stability testing fee for Essentially Derived Variety will be fixed based on the tests to be conducted but will ess for what has been fixed for varieties under application-I.
	(Signature of Applicant)

DECLARATIONS

I/We hereby apply for the grant of registration of the candidate Essentially Derived Variety with the above said denomination and I am/we are conversant with the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and Rules thereof related to this application.

1/We hereby declare that no person other than the person or persons mentioned in this application has been involved in the breeding, or discovery or development of this Essentially Derived Variety denomination.

I/We hereby declare that the candidate Essentially Derived Variety complies with the sub-section (3) of section 29 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that I/we have not applied for or received a trademark for the said denomination of the Essentially Derived Variety.

I/We hereby declare an affidavit in compliance with clause (c) of sub -section (1) of section 18 Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 is attached.

1/We hereby declare that the information given in this application for the registration of the above said candidate Essentially Derived Variety, including annexure and all supporting documents are complete, true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and no information has been willfully concealed.

I/We hereby declare that Terminator Technology (TT) or Genetic Usage Restrictive Technologies (GURTs) or such ones are not there in this material submitted for registration.

I/We hereby declare that the genetic material or parental material acquired for breeding, evolving or developing the variety has been lawfully acquired.

I/We hereby declare that I/We shall abide by all the provisions and guidelines of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

Place:		Signature of Applicants
Date:		

⁸Wherever the applicants are more than one person each applicant has to sign. In the case of authorised application or application by assignees, such person(s) authorised or assigned shall sign

Following are the attachments submitted along with each of the three copies of the application (note that wherever signature is affixed in the application or attachments, all such signatures shall be in the original):

- (a) complete application;
- (b) document of authorisation in Form PV-1 (if applicable);
- (c) document of assignment in Form PV-2 (if applicable);
- (d) documents in support of (b) and (c) as given above (if applicable);
- (e) affidavit that the Terminator Technology (TT) and the Genetic Use Restriction Technologies (GURTs) is not involved;
- (f) copy of document on filing date (vide column 8A, if applicable);
- (g) copy of letter of agreement (vide column 10A, if applicable);
- (h) technical Questionnaire for the Candidate variety (attached);
- (i) If the applicants by virtue of succession or an assignment of the right to apply for registration attach a proof to show the right to application as stipulated in sub section (3) of section 18 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; and
- (j) Fees as applicable.

If felt necessary attach colour pictures on the distinctness and other traits. Please sign each page of the application and other document on the left margin.

TECHNICAL QUESTIONNAIRE

1	Name of the Applicant/breeder/c		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

32

Controlled pollination / open pollination / induced mutation / spontaneous mutation / introduction / selection / seedling selection / any other (specify)

 Breeding technique/procedure used	
Selection criteria used	
Stage of selection and multiplication	

Particulars of comparative trial conducted by the applicant, if any.
Information on the location, place, period and year/month of comparative triconducted method of cultivation such as open field, facilities, planting, potting et scale of cultivation, reference varieties used, criteria for choice of the reference varieties, design of experiment, method of analysis of variance experimental errowhere applicable, and other details.
NOTE: Applicant may, furnish data, tables, copy (ies) of publication(s) related the details of breeding, comparative trial and comparative data in addition to tab of characteristics of candidate and reference varieties. This information provide under this item will not be published by the Authority but will be used to facilitate examination of candidate variety.
8 Characteristics of the candidate variety
Please describe characteristics of the variety in the subheadings: Plant, Stem, Leaf, Inflorescence, Flow and flower parts, Fruit and fruit parts, Seed etc. Describe characters within subheadings generally in t following order: habit, height, length, width, size, shape, colour (RHS colour chart reference we edition). Refer the specific guideline wherever necessary for clarity of description.
(a) (i) Give group characters.
(ii) Distinguishing characteristics (descriptive or elaborate)

(b) variet	Table of characteristics between candidate denomination and reference y
	give replicated values for all of its distinguishing and other description for important eristics along with the corresponding average values of the references varieties.
characte as poss	Two or more reference varieties should be compared with the candidate variety in the eristics table, including one deemed to be the most similar variety and other(s) as obvious/similar ible. If you provide this information it will facilitate the Authority in their DUS test further in ation of the candidate variety.
,	

Characteristics	Characteristics value of candidate variety							Remarks Measured value etc.	Characteristics value of reference variety					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		()	()
							-							

Characteristics of the reference varieties
Most similar variety
(i) Denomination
a - Confinis invitadi Necció emilibano, resmondire interespeja en ejest
Basis of choice of this variety for comparison
3 4
Distinguishable Characteristics
Other reference variety
Denomination
Basis of choice of this variety for comparison

भाग II_	—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	
(iii)	Distinguishable Characterist	ics	
			The state of the s
10	Statement of distinctne	ess of candidate variety	
candid names salient	late variety from all varieties of reference variety (ies) that	covering a brief summary of the characteristic of common knowledge. The distinctness statem at have been observed most similar to the candinguishing characteristics between the candinguishing characteristics between the candinguishing characteristics.	ent should include, (i) didate variety, and (ii)
			entro for
And the second of the second o	I and a second s		13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	Statement on uniformit	y and stability of candidate variety	
ormal ommer autation eyond aits the	uniform or stable expression, reially acceptable. This should ns. In your opinion what shou which the candidate variety sl	ing any variation in the variety that may be rewhich is predictable, capable of being described include description and frequency of any could be the frequency of off types or any other hall be deem to be non-uniform. Also please powered to as indicators to determine an unstable	ed in clear terms and off-types, variants or describable variation bint out which are the

6

ĸ

12	Methods	for	maintaining	the	candidate	variety
----	---------	-----	-------------	-----	-----------	---------

Please provide in a brief statement as to how the propagating material will be maintained throughout the duration of the plant breeder's right, and complete address where the variety will be maintained. This

The holder of a plant bree	eder's right is responsible for ensuring that propag	ating
	ained for the duration of the right.	ating
	P.	
	,	
nformation on variety	registered in Convention Countries.	
information on variety	registered in Comvention Countries.	
What were the group	ing characters in that application for this	s cai
	ing characters in that application for this	s cai
	ing characters in that application for this	s cai
	ing characters in that application for this	s cai
?		s cai
?	1	s cai
?		s cai
?		s cai

was registered?

(i)		

(ii)

[भाग ।।-	—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	39
(iii)	N	
(iv)		
(v)		
(vi)		
(vii)		
(viii)		
(ix)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(x)		
c. prese	What is the variation in important trait with respect to first filinent one (Attach photograph)?	ng and the
d. banne	Has the Variety been withdrawn in the first filed country from cult ed or from any of the subsequently released country?	ivation or
e.	If so, the reasons (supplement with information)?	
applica	I/We hereby declare that no person other than the person or persons mentioned ation has been involved in the breeding, or discovery or development of this denomination.	in this on.
	Date	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		Signature
Signati	ure of Witness and Address	
	Designation of the Breeder/Compa	ny with seal
The hr	reeder/company should sign with date each page of the Technical Questionnaire.	
THE UI	[F. No. 1-15/2	.012-SD. V]
	Dr. ATANU PURKYASTH	A, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

2006, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated 7th December, 2006.

 $\textbf{Note}: \textbf{The principal regulations were published in the Gazette of India} \textit{vide} \ G.S.R.\ 740 (E), \ dated\ 7th\ December,$